

NPS वात्सल्य स्कीम



NPS वात्सल्य स्कीम

- नाबालिक बच्चों की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए माता-पिता निवेश कर सकते हैं।
- 18 सितंबर - वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा इस स्कीम का ऐलान
- 18 साल तक के उम्र की सभी बच्चों के लिए
- अकाउंट बच्चे के नाम से ही ओपन
- बच्चों को परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (PRAN) कार्ड मिलेगा।
- लाभार्थी भी बच्चा ही, माता-पिता नहीं
- 1000 रूपये मिनिमम निवेश, अपर लिमिट नहीं
- बीच में पैसा निकाला जा सकता है, लेकिन 3 साल के बाद कुल राशि का 25 प्रतिशत केवल शिक्षा, बीमारी के लिए
- अधिकतम 3 बार ही निकाल सकते हैं (18 साल का होने तक)
- 18 वर्ष का होने पर नार्मल NPS में अकाउंट शिफ्ट



NPS स्किम

- 2004 में प्रारंभ
- पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) द्वारा रेगुलेट
- दो तरह के NPS अकाउंट

टियर - 1

- बीच में फंड निकालने पर पाबंदी
- 500 मिनिमम इन्वेस्टमेंट

टियर - 2

- अकाउंट में लिक्विडिटी की सुविधा
- 1000 रूपये मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन

